



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38337

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2567/2026

पुष्पेंद्र कुमार और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कैलाश प्रकाश पांडे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. श्री कैलाश प्रकाश पांडे, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, और श्री जितेंद्र प्रसाद, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, की दलीलें सुनी गईं।
2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उनका तबादला ललितपुर से इटावा कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं को 12.10.2025 को कार्यमुक्त किया गया और उन्होंने 19.10.2025 को कार्यभार ग्रहण किया; हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को 'अंतिम वेतन प्रमाण पत्र' का भुगतान इस बहाने से नहीं किया जा रहा है कि प्रतिवादियों द्वारा ललितपुर में आवंटित आवासीय आवास अभी तक खाली नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनके बच्चे कक्षा-IV और यूकेजी में पढ़ रहे हैं। इस संबंध में, दिनांक 21.11.2016 के परिपत्र के साथ-साथ रिट-ए संख्या 19199/2025 (विजय बहादुर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य) में दिनांक 18.12.2025 को दिए गए निर्णय का हवाला दिया गया है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह दलील दी कि स्थिति चाहे जो भी हो, चूँकि इस संबंध में कोई लिखित निर्णय उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस मामले में एक सुविचारित निर्णय तीसरे प्रतिवादी, यानी पुलिस अधीक्षक, ललितपुर (जिला ललितपुर) द्वारा लिया जाना आवश्यक है।
4. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता अपनी रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे प्रतिवादी, यानी पुलिस अधीक्षक, ललितपुर (जिला ललितपुर) के समक्ष दिनांक 27.02.2026 तक दाखिल करें। तत्पश्चात्, तीसरा प्रतिवादी याचिकाकर्ता के दावे पर छह सप्ताह की अवधि के भीतर निर्णय लेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”